

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/32/2018-अ.भा.से.-I

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,  
दिनांक: 7 अगस्त, 2018

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्नाटक राज्य सरकार और गृह मंत्रालय की सहमति से केंद्र सरकार, एतद्वारा सुश्री आकृति सागर, आई.ए.एस. (कर्नाटक :2016) का श्री सुधांशू, आई.पी.एस. (एजीएमयूटी:2016) से विवाह होने के आधार पर कर्नाटक संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग में स्थानांतरण करती हैं।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 011-23094142

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, दिल्ली।